...ालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

माया ..... बनाम ..... चोखाराम

मुकदमा ..... T.E. ..... मु.नं. ..... 13 ..... वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25/8/3	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वनिश्चयानुसार दिनांक 13/10/3 को पेश हो।	
13/10/3	पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल वाद उद्घोषणात्मक है तथा प्रार्थिया के हक का निर्धारण मूल वाद के साक्ष्यों के तथ्यों के आधार पर किया जाना है। चौधाने मूल वाद वादी के हक व हिस्से की भूमि का बँटवान करने पर वादिया के हक प्रभावित हो सकते है तथा वाद बाहुल्यता के बढ़ने की संभावना है। अतः वाद बाहुल्यता को बढ़ने से रोकने के लिए तथा प्रार्थिया के हितों की रक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया के स्वीकार किया जाता है तथा अपीलीय न्यायालय के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 402 रकबा 2.30 हैक्टर वाले ग्राम ताथामिनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि पर ताहौराने वाद वादी के हक व हिस्से की भूमि का बँटवान नहीं करे। पत्रावली में तस्दीक अर्जदावा नम्बर सेकम ही दाखिल नम्बर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर